संख्या:-61/2021/159आ0/23-5-21-09(भवन)/2018टीसी-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 16 जून, 2021**

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-80-051-21-00-24 "निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का विस्तार/जीर्णोद्धार/निर्माण"(चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत सिराथू विधान सभा में 15 सूट के गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-35बीजीबी/109बीजीबी/नि0भवनों/सर्किट हा0 का जीर्णो0/निर्माण(चालू कार्य)/21-22, दिनांक 27.05.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित धनराशि **रू0 880.02 लाख (रू0 आठ करोड़ अस्सी लाख दो हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश सख्या व दिनाक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	01/2018/02आ0/23-5-18-12(भवन)/2017, दिनांक 12.01.2018 एवं 14/2019/12आ0/23-5-19-9(भवन)/2017, दिनांक 20.02.2019 एवं 43/2019/126आ0/23-5-19-9(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 13.08.2019 एवं 43/2020/190आ0/23-5-20-9(भवन)/2018टीसी-1,दिनांक 21.08.2020 एवं 18/2021/17आ0/23-5-21-9(भवन)/2018टीसी-1,दिनांक 28.01.2021 एवं 28/2021/163/23-5-21-12(भवन)/2017, दिनांक 17.02.2021 **(पुनरीक्षित)**	कौशाम्बी के अन्तर्गत सिराथू विधान सभा में 15 सूट के गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य।	2032.20	1052.18	980.02	880.02
	योग :-		**2032.20**	**1052.18**	**980.02**	**880.02**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-21-निरीक्षण भवन/सर्किट हाउसों का विस्तार/जीर्णोद्धार/निर्माण(चालू कार्य)-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- कार्यदायी संस्था द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी की जा रही है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

..../02..

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-61/2021/159आ0(1)/23-5-2021तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी कौशाम्बी।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
11- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कौशाम्बी।
13- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कौशाम्बी इकाई, कौशाम्बी।
14- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in